(घ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बिजलीकरघा क्षेत्र में उत्पादित कपड़ा हथकरघा क्षेत्र में उत्पादित कपड़े की तुलना में अधिक सस्ता होता है, यदि हां तो दोनों में कितना अन्तर है ;

(ङ) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में बिजलीकरघा क्षेत्र के विकास के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया है चूंकि यह क्षेत्र अधिक और ज्यादा सस्ता कपड़े का उत्पादन करने में सक्षम है ; और

(च) यदि हां, तो क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान वस्त्र उद्योग के तीनों क्षेत्रों में नियोजित कामगारों की संख्या निम्नानुसार थी :–

मिल क्षेत्र	10.56 लाख
हथकरघा क्षेत्र	100.00 लाख
विद्युतकरघा क्षेत्र	57.29 लाख

(ग) जी हां।

(घ) विभिन्न किस्मों के कपड़ों की उत्पादन लागत, प्रयोग में आने वाली कच्ची सामग्री, कपड़े की शुद्धता, श्रम लागत आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती हैं।

(ङ) और (च) सरकार विद्युत-करघा क्षेत्र के अपने सहज बल को मद्देनजर रखते हुए इसके विकास का इरादा रखती है। आठवीं योजना अवधि के अन्तिम वर्ष तक इस क्षेत्र द्वारा 18,000 मिलियन वर्ग मीटर कपडे के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कपास का निर्यात

2050. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**

श्री राम जेठमलानी :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1992-93 के दौरान कपास निर्यात करने का निर्णय लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय के अनुसार निर्यात की जाने वाली कपास की मात्रा कितनी है और किस महीने के दौरान इसका निर्यात किया जाएगा ;

(ग) क्या सरकार द्वारा कपास के निर्यात का निर्णय लेने से पहले देश में कपास की आवश्यकता का मूल्यांकन किया गया था ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि कपास के स्थान पर सूत का निर्यात देश के लिये अधिक लाभप्रद है और यदि हां, तो कपास की तुलना में सूत के निर्यात में कितना लाभ है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने चालू कपास मौसम के दौरान 17.855 लाख गाठें जारी की और इसमें से 27-7-1993 तक 15.175 लाख गाठों की संविदाएं की गई और 11.927 लाख गाठों का लदान किया गया। बकाया मात्रा का लदान अगस्त, 1993 के दौरान किए जाने की सम्भावना है।

(ग) जी हां। चालू कपास मौसम के दौरान कपास की घरेलू खपत (मिल और गैर-मिल) 120 लाख गाठें आंकी गई हैं।

(घ) जी हां। मई, 93 में भारतीय कपास मिल संघ (आई सी एम एफ) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार

कच्ची कपास की एक लाख गाठों के निर्यात से 60 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। यदि कपास की उपयुक्त मात्रा का यार्न विनिर्माण के लिए प्रयोग किया जाए तथा इसी यार्न का निर्यात किया जाए तो इससे 119 करोड़ रु० प्राप्त होंगे तथा सूती फैब्रिक्स, सूती मेड अप्स और सूती परिधानों के निर्यात से क्रमशः 158 करोड़ रु० 190 करोड रु० तथा 400-500 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

Scheme to Boost Export by Small Scale Garment Manufacturers

2051. SHRI N. GIRI PRASAD:

SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have evolved a new scheme for small scale garment manufacturers to encourage them to boost exports;

(b) if so, whether it is a fact that the Government has imposed some conditions in the notification issued to give effect to the scheme which is unlikely to benefit them;

(c) if so, what are the details of the scheme and the conditions imposed; and

(d) what is the Government's reaction to the fear expressed by SSI units?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (c) Government have issued a notification on 17-6-93 exempting industrial undertakings engaged in the manufacture of ready-made garments including knitted garments from the provisions of sub-sections 2A to 2G of Section 29-B of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 subject to the following conditions:

(i) that the investment in fixed assets in plant machinery in the Industrial Undertaking, whether held on ownership terms or on lease or by hire purchase, shall not exceed Rs. 3 crores;

(ii) that such industrial undertaking shall undertake to export a minimum of 50 per cent of the new or additional annual production to be achieved within a maximum period of three years; and

(iii) not less than 50% of the export obligation undertaken in (ii) above shall be achieved by way of non-quota exports.

(d) The SSI units have generally not expressed any fears in respect of the notification that has been issued. It is also unlikely to affect the small scale units in the garment sector (with investment upto Rs. 60/75 lacs) because of a restriction on the larger units manufacturing garments to export at least 50% of their production.

Proposal for Setting up of TRC

2052. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether any proposal from the Government of Andhra Pradesh to set up Tassar Research Centre is pending for clearance by the Central Government;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is the stage of consideration of the proposal?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (c) The State Government of Andhra Pradesh has requested the Central Silk Board to establish a Regional Tasar Research Station in the State and the Board has proposed establishment of this Station at Warangal. The financial and other implications involved in the proposal are being examined by the Government of India.